न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज॰

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 79 / 2021

जीसीएमएस नं. :— 2021 / 62

प्रार्थी :	बनाम	अप्रार्थीगण :
बाबूलाल विश्नोई पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		1. मंगलाराम पुत्र हाजराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :— 05.12.2022

उपस्थित

श्री मन्सुर अली छीपा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

राजकीय पैरोकार — तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी सं. 2

आदेश

दिनांक : 03.05.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर का निवासी हैं तथा प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम तिलवासनी पटवार हल्का तिलवासनी भू.अभि. नि. चिरडाणी तहसील पीपाड़ शहर में कृषि भूमि खसरा संख्या 469 रकबा 1.5452 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई हैं। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 469 तक आने–जाने के लिये तथा कृषि भूमि में काश्त कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने हेतु आस–पड़ौस में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अभी वर्तमान में प्रार्थी के उक्त खेत खसरा सं. 469 के पूर्वी तरफ स्थित खसरा सं. 467 की भूमि में से उत्तरी माठ के सहारे सहारे चल रहे रास्ता से होते हुए खेत खसरा संख्या 511 गैर मुमकिन रास्ता तक मार्क ए.बी.सी.डी से प्रार्थी अपने खेत में आता–जाता रहता है। जिसको सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी में दर्शाया गया है। जिस रास्ता को आगे वादपत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। इसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा सं. 469 में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की खातेदारीसुदा कब्जासुदा खेत खसरा संख्या 469 में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। इसीलिए प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 469 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 467 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे चल रहा वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता हैं। इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी कब्जासुदा

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तरीके से जाने हेतु प्रार्थी को करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता की अतिआवश्यकता है इसीलिए वादग्रस्त रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी को 30 फीट चौड़ा रास्ता घोषित फरमाये एवं राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ते को तरमीम किये जाने का आदेश फरमाये। प्रार्थी उक्त खसरा संख्या 467 से निकलने वाले रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा संख्या 469 में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी उक्त घोषित किये जाने वाले रास्ते बाबत अप्रार्थी को विधि अनुसार मुआवजा राशि देने हेतु तैयार एवं तत्पर हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 469 रकबा 1.5452 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 467 में से उत्तरी माठ के सहारे सहारे 30 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए बी.सी.डी रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ता की तरमीम किये जाने का आदेश फरमायें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस पूर्व में तामीलसुदा प्राप्त उपस्थित नही है, तामीली सम्यक मानी जाती हैं। अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 469 रकबा 1.5452 हैक्टयर में आने जाने हेतु रास्ता की मांग की गई है, नजरी नक्शा संलग्न हैं। नजरी नक्शे में अंकित कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 511 के पश्चिम की ओर स्थित पड़ोसी खसरा नम्बर 467 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे मार्क ABCD दर्शाया गया हैं। उक्त रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 469 मे जाने के लिए कोई निकटतम् रास्ता नहीं हैं अर्थात दसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 469 में आने जाने के लिए उपलब्ध नही हैं। रास्ते की भूमि का विवरण इस प्रकार से है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	भूमि विवरण			
		खसरा नम्बर रकबा	रास्ते का क्षेत्रफल लम्बाई Xचौड़ाई	DLC	राशि
1	मंगलाराम पुत्र हाऊराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार (Mark ABCD)	467	14.8 X 4.5 666 वर्गमीटर	9343 X 2	18,686/–

हमने बहस पक्षकारान सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 469 रकबा 1.5452 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 467 में से उत्तरी माठ के सहारे सहारे 30 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ता की तरमीम किये जाने का आदेश फरमायें जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 469 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 467 में से मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार Mark ABCD सबसे सुलभतम, निकटतम रास्ता हैं। जो दिया जाना प्रस्तावित किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 469 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 467 के उतरी

मेड़ के सहारे सहारे सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये बिन्दु सं. मार्क A B C D अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 469 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 467 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार मार्क A B C D अनुसार कुल क्षेत्रफल 666 वर्गमीटर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 1,40,286/- हैं। जिसकी गणना करने पर रास्ते के काम आयी कुल भूमि 666 वर्गमीटर भूमि की मालियत राशि रूपये 9343/- रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 18686/- रूपये बनती है। प्रार्थीगण राशि 18686/- रूपये का डी.डी. अप्रार्थी सं. 1 के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 18686/- रूपये का डी. डी. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2023 सर-ए-इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर